



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062022-236875
CG-DL-E-28062022-236875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2769]
No. 2769]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASADHA 6, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

का.आ. 2909(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्यांक का.आ.100, तारीख 27 जनवरी, 2022, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 29 जनवरी, 2022 में प्रकाशित उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 51.590 एकड़ (लगभग) या 20.878 हेक्टर (लगभग) है, कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उक्त भूमि 51.590 एकड़ (लगभग) या 20.878 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि में या उसके ऊपर सभी अधिकार का अर्जन करने की अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण : 1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एमसीएल/एसए/एसबीओसीपी/जीपी(डब्ल्यू)-ईएक्सटीएन./ 7(1)/2022/20, तारीख 12 फरवरी, 2022 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अंगुल, (ओडिशा) -

759122 के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 के कार्यालय में या निदेशक (कार्मिक), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर जागृति विहार, बुर्ला, जिला सम्बलपुर-768020, ओडिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण: 2 उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है:-

"8. अर्जन की बाबत आपत्तियां.- (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के अधीन यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने की पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पण: 3. केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता 700001-को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड-(ii), तारीख 22 जुलाई, 1995 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2015, तारीख 10 जुलाई, 1995 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

अनुसूची

गोपाल प्रसाद (पश्चिम) कोल ब्लॉक

जिला-अंगुल, राज्य -ओडिशा

(रेखांक संख्या एमसीएल/एसए/एसबीओसीपी/जीपी(डब्ल्यू)-ईएक्सटीएन./ 7(1)/2022/20, तारीख 12 फरवरी, 2022)

सभी अधिकार :

सुभद्रा ओपनकास्ट परियोजना (25 मिलियन टन प्रतिवर्ष) के लिए गोपालप्रसाद (पश्चिम) की सीमा वर्णन पूर्व अधिसूचना के बाद प्राप्त किए जाने वाले विस्तार प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का भूमि विवरण ।								
क्रम सं.	ग्राम का नाम	कोयलाब्लॉक का नाम	ग्राम संख्यांक	थाना	तहसील	जिला	अर्जन किए जाने वाला क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणी
1.	कांकरेई	गोपाल प्रसाद (पश्चिम)	174	निशा	छेंदीपदा	अंगुल	51.590	भाग
कुल क्षेत्र :							51.590	

क्षेत्र: 51.590 एकड़ (लगभग) या 20.878 हेक्टर (लगभग)

ग्राम कांकरेई में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

1870(भाग), 1870/2065 (भाग), 1870/2068 (भाग), 1870/2068/2550 (भाग), 1870/2068 / 2663 (भाग), 1870/2071 (भाग), 1870/2072 (भाग), 1870/2076 (भाग), 1870/2076/2384 (भाग), 1870/2076/2385 (भाग), 1870/2076/2386 (भाग), 1870/2076/2387 (भाग), 1870/2076 / 2387 (भाग), 1870/2076/2581, 1870/2076/2582, 1870/2077 (भाग), 1870/2080 (भाग), 1870/2081, 1870/2081/2684, 1870/2081/2721, 1870/2082 (भाग), 1870/2082/2664 (भाग), 1870/2093 (भाग), 1870/2094, 1870/2094/2436, 1870/2094/2616, 1870/2094/2617, 1870/2094/2618, 1870/2094/2684, 1870/2094/2685, 1870/2094/2706, 1870/2094/2707, 1870/2094/2708, 1870/2096 (भाग), 1870/2194, 1870/2196, 1870/2323, 1870/2567, 1870/2625.

सीमा विवरण:

- क-ख: प्लॉट संख्या 2067 पर बिन्दु 'क' रेखा से शुरू होती है और ग्राम कांकरेई के प्लॉट संख्या 2065 और 2419 की सीमा पर स्थित बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख-ग: प्लॉट संख्या 2065 पर बिन्दु 'ख' रेखा से शुरू होती है और ग्राम कांकरेई के प्लॉट संख्या 2081 की सीमा पर स्थित बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग-घ: कांकरेई और बालीचंद्रपुर ग्राम सीमा पर बिन्दु 'ग' रेखा से शुरू होती है और कांकरेई और बालीचंद्रपुर ग्राम की सीमा पर बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ-ङ.: कांकरेई और बालीचंद्रपुर ग्राम सीमा पर बिन्दु 'घ' रेखा से शुरू होती है और कांकरेई ग्राम के प्लॉट संख्या 1870 के ऊपर के प्लॉट संख्या 2194, 2196 से होती हुई और बिन्दु 'ङ.' पर मिलती है।
- ङ.-च: प्लॉट संख्या 1870 पर बिन्दु 'ङ.' रेखा से शुरू होती है और ग्राम कांकरेई के (प्लॉट -1870) सड़क पर स्थित बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- च-क: (प्लॉट-1870) सड़क पर स्थित बिन्दु 'च' रेखा से शुरू होती है और कांकरेई ग्राम के प्लॉट संख्या 2067 पर बिन्दु 'क' से मिलती है।

[फा. सं. 43015/07/2021-एलएण्डआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2022

S.O. 2909(E).—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Coal, S.O. number 100, dated the 27th January, 2022 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 29th January, 2022, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 51.590 acres (approximately) or 20.878 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 51.590 acres (approximately) or 20.878 hectares (approximately) and all rights in or over the said lands as described in the Schedule appended hereto;

Note 1 : The plan bearing number MCL/SA/SBOCP/GP(W)-EXTN./7(1)/2022/20, dated the 12th February, 2022 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, District Angul (Odisha)- 759122 or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700 001 or at the

office of the Director (Personnel), Mahanadi Coalfields Limited, Post Office Jagruti Vihar, Burla, District Sambalpur-768020, Odisha.

Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act, which provides as follows:-

" 8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkatta- 700001 has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 2015, dated the 10th July, 1995 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd July, 1995.

SCHEDULE

Gopalprasad (West) Coal Block

(District- Angul, State- Odisha)

[Plan bearing number MCL/SA/SBOCP/GP(W)-EXTN./7(1)/2022/20, dated the 12th February, 2022]

All Rights:

Land details of **proposed area for extended land** beyond earlier notified boundary within block boundary of Gopalprasad (West) coal block for Subhadra Open Cast Project (25 Million Tonne Per Year).

Serial number	Name of village	Name of the coal block	Village number	Thana	Tahasil	District	Area to be acquired (in acres)	Remark
1.	Kankarei	Gopalprasad (West)	174	Nisha	Chhendipada	Angul	51.590	Part
Total area:							51.590	

Total area: 51.590 acres (approximately) or 20.878 hectares (approximately).

Plots numbers to be acquired in village Kankarei :

1870 (P), 1870/2065 (P), 1870/2068 (P), 1870/2068/2550 (P), 1870/2068/2663 (P), 1870/2071 (P), 1870/2072 (P), 1870/2076 (P), 1870/2076/2384 (P), 1870/2076/2385 (P), 1870/2076/2386 (P), 1870/2076/2387 (P), 1870/2076/2387 (P), 1870/2076/2581, 1870/2076/2582, 1870/2077 (P), 1870/2080 (P), 1870/2081, 1870/2081/2684, 1870/2081/2721, 1870/2082 (P), 1870/2082/2664 (P), 1870/2093, 1870/2094, 1870/2094/2436, 1870/2094/2616, 1870/2094/2617, 1870/2094/2618, 1870/2094/2684, 1870/2094/2685, 1870/2094/2706, 1870/2094/2707, 1870/2094/2708, 1870/2096(P), 1870/2194, 1870/2196, 1870/2323, 1870/2567, 1870/2625.

Boundary description:

A-B: Line starts from point 'A' at plot number 2067 and meet at point 'B' situated over the boundary of plot numbers 2065 and 2419 of village Kankarei.

B-C: Line starts from point 'B' at plot number 2065 and meet at point 'C' at plot number 2081 of village boundary of Kankarei.

- C-D: Line starts from point 'C' of village boundary of Kankarei and Balichandrapur and meet at point 'D' at village boundary of Kankarei and Balichandrapur.
- D-E: Line starts from point 'D' at village boundary of Kankarei and Balichandrapur and running over the plot numbers 2194, 2196 up to over the plot number 1870 of village Kankarei and meet at point 'E'.
- E-F: Line starts from point 'E' at plot number 1870 and meet at point 'F' road (1870- plot) of village Kankarei.
- F-A: Line starts from point 'F' situated over the road (1870- plot) and meet at point 'A' at plot number 2067 of village Kankarei.

[F. No. 43015/07/2021-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.